

उनवान:- कैलाशी देवी बनाम भैरोलाल वगै०

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

क

फर्द अहकाम

19

प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में सायलान को प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 08/07/2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 799/0.16, 800/0.13 है० ग्रम भौटवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली में आगामी पेशी तक कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करने के आदेश दिए जाते हैं।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नहीं होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकैट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 08.07.2019 को पेश हो।

उप जिल्हा कलक्टर  
टोडाभीम जिला करौली

8-7-19 प्रार्थी वकील उपरोक्त अस्थाई निषेधाज्ञा रद्दी 10 एवं रसीद पोछ

आपसि की पेश कीज दिनांक 9-8-19 को पेश हो।

9-8-19

वकुलप्रय उपस्थित/पीअसन अधिकारी करौली  
पधार है। अतः पत्रावली गताबुसार  
दिनांक 9-8-19 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला

दिनांक	फर्द अहकाम
9-9-19	वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी उपकाश पर पदोत है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 10-10-19 को पेश हो। <i>[Signature]</i>
10-10-19	वकूलाय उपर। जबाब पेश करने दिनांक 14-11-19 को पेश हो। <i>[Signature]</i>
14-11-19	वकील उभय पक्ष उपस्थित। सीधे बहस करने का कथन किया। वकील उभय पक्ष ने कथन किया कि उभय पक्षों को मोका, रिकार्ड की चयास्थिति बसोये रखने व किसी भी प्रकार का निगमण कार्य नहीं करने हेतु दावा के निस्तारण तक पाबन्द कर दिया जावे। वकील उभय पक्ष की बहस सुनकर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।  वकील उभय पक्ष के कथनानुसार उभय पक्ष-कारान को दावा के निस्तारण होने तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम भोंटबाडा तहसील टोडाभीम स्थित भूमि खसरा नम्बर 799/016 800/013 पर रिकार्ड एवं मोके की चयास्थिति बसोये रखे तथा किसी भी प्रकार का निगमण नहीं किया जावे। पत्रावली कैलल शुमार होकर नबहसे कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे। <i>[Signature]</i> उपजिला कलक्टर टोडाभीम (कौली)

